HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 634/2026

Rama S/o Shri Pyara, Aged About 51 Years, R/o Juna Mayra Mera, Post Gilund, Police Station Shambhupura, District Chittorgarh, Rajasthan. (At Present In Central Jail Ajmer).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through P P

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhanwar Lal Ahir
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP with Mr. Shubham Kumar Sain, AAAG

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना जीआरपी अजमेर, जिला–अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 88/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। उनका तर्क है कि केवल सहअभियुक्त के कथन के आधार पर प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण 16 किलो डोडा पोस्त (बैग सहित कुल वजन 19.152 किलोग्राम) मादक–पदार्थ से संबंधित है, जो वाणिज्यिक मात्रा 50 किलो से काफी कम है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 26.10.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त आदतन अपराधी है, उसके विरुद्ध पूर्व के छह अन्य आपराधिक प्रकरण संस्थित है, जिनमें से चार इसी प्रकृति के लंबित हैं। प्रार्थी–अभियुक्त ने जमानत के प्रावधानों का दुरुपयोग किया है। अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध जो पूर्व के चार इसी प्रकृति के प्रकरण संस्थित हैं, उनमें से एक में उसको दोषमुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रकरण में जिस सहअभियुक्त से मादक–पदार्थ की बरामदगी की गई है, उसे इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है।

हमने उभयपक्षकारों के तर्क–वितर्क पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त की विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 8/15, 29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के कुल छह आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जिनमें से चार इसी प्रकृति के हैं, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त आदतन अपराधी है। प्रार्थी–अभियुक्त ने बार–बार दी गई जमानत की सुविधा का दुरुपयोग कर पुनः अपराध कारित किया है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /33